न्यायालय राजस्व मन्डल म. प्र.

प्र. क्र. 481-III /98 नि.

गोपालसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
निवासी ग्राम धमना तह. निवाडी
जिला टीकमगढ - प्रार्थी

विरुद्ध

1- पूरनसिंह पुत्र भावसिंह ठाकुर
2- भीकमसिंह पुत्र परनसिंह ठाकुर
3- मोहनसिंह पुत्र गजराज सिंह ठाकुर
निवासीगण- ग्राम धमना तहसील
निवाडी जिला टीकमगढ.

--प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग आदेश दिनांक 10.6.97 पारित प्र.क्र. 63-बी/1994-95 अपील निगरानी अन्तर्गत धारा 50 रे.को.

- -

श्रीमान्,

निगरानी प्रार्थी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

(1) यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं रिकार्ड के विपरीत तथा अनुचित होने से निरसन योग्य है ।

(2) यहकि, विवादित भूमि क्रमांक को प्रार्थी क्रमांक-3 ने प्रार्थी के हित में विक्रय कर दिया है और इस पर प्रार्थी का अधिपत्य एवं स्वामित्व है ऐसी अवस्था में प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी के हितों के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश पारित करना न्याय और विधि दोनों के विपरीतहै ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-481-तीन/1998 गोपालसिंह विरूद्ध पूरनसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक गोपालसिंह की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी. शर्मा एवं अनावेदक पूरनसिंह की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । 2. आवेदक अभिभाषक ओ.पी. शर्मा द्वारा बताया गया कि प्रकरण वर्ष 1998 से प्रचलित है । पक्षकार की ओर से प्रकरण आगे संचालित (Continue) करने के निर्देश नहीं दिये गये है इसीलिये प्रकरण चलाने में उनकी कोई रूचि नहीं है । अनावेदक अभिभाषक ने भी इस पर अपनी सहमति दी है । अत: उभय पक्ष की सहमति के आधार पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । 18.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	